कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

दिनांकः– 19-8-2025

——:::ठेका वर्ष 2025 मेला गुघाल व मेला म्हाडी हेतु निविदां की शर्ते:::——

1–यह कि मेला अवधि मेला म्हाडी 02.09.2025 से 04.09.2025 तक (कुल 03 दिन) व मेला गुघाल दिनांक 05.09.2025 से 24.09.2025 तक (कुल 20 दिन) तक होगी।

2–ऑनलाईन निविदा दिनांक 22.08.2025 को अपरान्ह 12:00 बजे तक ऑनलाईन के माध्यम से डाली जायेंगी एवं तद्‌दिनांक को अपरान्ह 02:00 बजे गठित निविदा समिति एंव निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

3–यह कि सफल निविदादाता को उक्त ठेके की 50 प्रतिशत धनराशि व अनुबन्ध हेतु निर्धारित मूल्य के (04 प्रतिशत) स्टाम्प शुल्क 03 दिन के अन्दर जमा करना होगा। अनुबन्ध पश्चात कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। तदोपरान्त ठेके की 50 प्रतिशत धनराशि कार्यादेश की तिथि से 05 दिन के अन्दर जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर जमा जमानत राशि एव जमा धनराशि जब्त कर ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।

4–टैण्डर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व शपथ पत्र (फोटो सहित) जिसमें यह अंकित हो कि शपथकर्ता किसी संस्था का बकायेदार नहीं है, और न ही कभी ब्लैक लिस्टेड हुआ है, 03 वर्ष का मेला लगाने का अनुभव व मेला गुघाल हेतु तीन साल की टर्नऑबर(औसतन 01 करोड रू0) ठेके में निर्धारित जमानत राशि ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ही जमा करनी होगी, जो ठेके की किसी किस्त में समायोजित नही की जायेगी, एवं सफल रूप से ठेका समाप्त करने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

5–यह कि नीलामी की शर्त संख्या 03 की शर्त का उच्चतम निविदादाता द्वारा उल्लंघन करने पर उसके द्वारा जमा जमानत राशि एवं धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा, एवं ठेका निरस्त करते हुये भविष्य में होने वाले निगम के ठेकों के लिये ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।

6–यह कि अपरिहार्य कारणोंवश जैसे प्राकृतिक आपदा (घनी वर्षा, आगजनी व अन्य) अथवा प्रशासनिक कारणोंवश यदि मेला अवधि में मेला बन्द रहता है, तो मेला अवधि बढाने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर को होगा।

7–यह कि ठेके के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर का होगा तथा ठेके स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा। आवश्यकतानुसार शर्तों में संशोधन का अधिकार भी नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।

8– ठेके स्थल का नक्शा/मैप निविदा के साथ संलग्न है। ठेकेदार निर्धारित ठेका स्थल पर ही वसूली करेगा, ऐसा न करने पर उसे ठेके की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए ठेका निरस्तीकरण/जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी।

9–यह कि प्रथम पक्ष किसी व्यक्ति को ठेका सबलेट नहीं करेगा। यदि इस प्रकार का तथ्य संज्ञान में आने पर ठेका निरस्त कर सभी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

10–यह कि जनसामान्य की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की असावधानी बरती जाती है, या मेला स्थल पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होती है, तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

11– किसी वाद–विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में वाद क्षेत्र सहारनपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ही होगा।

12–यह कि उक्त ठेके से सम्बन्धित किसी भी तरह का बकाया रह जाने पर समस्त जमा धनराशि व जमानत धनराशि सहित जब्त कर अवशेष धनराशि को बकाया भू–राजस्व की भांति वसूल किया जा सकेगा।

13–टैण्डर शुल्क दोनों ठेकों में अंकन 1298/– रू० (जी०एस०टी० सहित) देय होगा।

14–यदि किसी निविदादाता द्वारा कोई तथ्य छिपाया जाता है, और वह तथ्य छिपाकर ठेका लेने में कामयाब हो जाता है, और बाद में तथ्य उजागर होता है, तो ऐसे ठेकेदार के विरूद्ध जमानत राशि जब्त करने व ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी, अपराधिक कार्य होने पर प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी। जमानत राशि ठेका सन्तोष जनक पूर्ण होने पर ही वापस की जायेगी।

15–यह कि यदि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रपत्र /अभिलेख कूटरचित पाये जाते है, तो सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध कानून कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

16– यह कि ठेके के निमित्त भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा कोई कर अधिरोपित होता है, तो ठेकेदार देने के लिए उत्तरदायी व पाबन्द होगा।

17–जिन ठेकों पर कोई कर लागू होगा ठेकेदार ठेके की धनराशि के साथ–साथ देने के लिये बाध्य होगा। निगम ठेके के निमित्त कोई कर देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

18– यह कि अनुबन्ध हेतु पर्याप्त मूल्य के स्टाम्प प्रस्तुत करने होंगे, स्टाम्प की कमी के लिये केवल ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

19–यदि यह संज्ञान में आता है, कि सम्बन्धित ठेकेदार सकिय रूप से माफिया गतिविधियों/असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अनुबन्ध उसी समय निरस्त कर धरोहर की धनराशि जब्त करते हुये फर्म/नाम को काली सूची में डाला जायेगा।

20–निविदा आमंत्रणकर्ता को परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है, जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नही किया जायेगा, बल्कि ई–टैण्डर/नीलामी वेबसाइट पर ही सूचित किया जायेगा।

21–इस निविदा सूचना के अन्तर्गत किये जाने वाले ठेकों हेतु न्यूनतम ऑफर प्रकाशित विज्ञप्ति में अंकित है।

22–पार्किंग स्थानों पर पार्किंग प्रभार की दरें निम्नलिखित होगीः-

नगर निगम सहारनपुर।	दो घण्टे के लिये (रूपये में)		क्रमवार एक घण्टे के लिये (रूपये में)		24 घण्टे (रूपये में)		मासिक पास (रूपये में)	
	2 पहिया	4 पहिया	2 पहिया	4 पहिया	2 पहिया	4 पहिया	2 पहिया	4 पहिया
10 लाख से कम जनसंख्या वाले	10	20	5	10	40	80	600	1200

23– यह कि मेला गुघाल का नक्शा निविदा के साथ संलग्न है, जिसमें मेले में पार्किंग हेतु चिन्हित स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर पार्किंग नही की जायेगी।

24-मेला स्थल पर 40 दुकानों को आरक्षित कर नक्शे पर दर्शाया गयी है, जो जिला उद्योग केन्द्र की संस्तुति के उपरान्त नगर निगम द्वारा आवंटित की जायेगी, उक्त स्टाल लगाने वालो से स्थल का किराया नही लिया जायेगा, इसके अतिरिक्त बिजली व अन्य व्यय होंगे केवल वही लिये जायेंगे।

25-यह कि जो व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर पार्किंग कराना चाहते है, उन्हे नगर निगम सहारनपुर से पार्किंग लाईसेंस प्राप्त करना होगा, तथा पार्किंग में तैनात कर्मचारीगण पूर्ण ड्रैस मे आई0डी0 कार्ड सहित रहेंगे जिनकी सूची ठेकेदार व लाईसेंस धारक को नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

26-यह कि मेला ठेकेदार द्वारा 12,000 पास मेलाधिकारी व मेला चेयरमैन को उपलब्ध कराये जायेंगे, उक्त पास मेले के प्रारम्भ होने की तिथि से लागू होंगे, जो **पहले सप्ताह(02.09.2025 से 09.09.2025 तक) गोल्डन रंग, दूसरे सप्ताह (10.09.2025 से 17.09.2025 तक) सिल्वर रंग व अन्तिम सप्ताह(18.09.2025 से 24.09.2025 तक) हरे रंग** के बनवाये जायेंगे, जो मेलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगे, एवं उनका वितरण मेलाधिकारी व मेला चेयरमैन द्वारा किया जायेगा।

27-यह कि मेला के सम्बन्ध में **Pre Bid Meeting** दिनांक 21.08.2025 को प्रातः 11:00 बजे अपर नगर आयुक्त(प्रथम) महोदय के कार्यालय में रखी गयी है, जिसमें निविदा में प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति/फर्म उपस्थित होकर निविदा की शर्तो के सम्बन्ध में कोई संशय हो तो जानकारी प्राप्त कर सकते है।

28-यह कि मानचित्रकार द्वारा बनाये गये नक्शे में जो 02 पार्किंग स्थल, 40 दुकाने रिजर्व एवं अन्य दुकाने एवं नगर निगम कैम्प, फायर ब्रिगेड कैम्प, सिविल डिफेंस कैम्प, पुलिस कैम्प इत्यादि स्थल दर्शाये गये है, उसके अनुसार मेला लगाया जायेगा।

29–मेला ठेके हेतु न्यूनतम ऑफर का विवरण निम्नवत् है:--

क्र0सं0	पत्रांक संख्या	ठेके का नाम	जमानत राशि/धरोहर राशि	हैसियत प्रमाण पत्र	गत वर्ष 2024 में जमा धनराशि (जी0एस00टी0 सहित)	वर्ष 2025 हेतु न्यूनतम ऑफर धनराशि (जी0एस0टी0 सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	NZ7	मेला गुघाल	33,79,000/-	50 लाख	3,07,80,360/-	3,07,80,360/-
2	NZ8	मेला म्हाड़ी	3,02,000/-	10 लाख	30,11,100/-	30,11,100/-

Digitally signed by
Sudhir Kumar Sharma
Date: 19-08-2025
19:25:49

कर अधीक्षक

नगर निगम सहारनपुर।